

राजस्थान सरकार
आयोजना (बीस सूत्री कार्यक्रम) विभाग

क्रमांक: प.1(4)आयो/बीसूका/जि. स्त. कमेटी/2022

जयपुर, दिनांक: 14.10.2022

आज्ञा

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.7(20)प्र.सु./अनु.3/82, दिनांक 02.03.1994 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय बीस सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु जिला उदयपुर के लिए जिला स्तर पर प्रथम स्तरीय समिति के गठन की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1.	श्री राम लाल जाट	मंत्री	अध्यक्ष (प्रभारी मंत्री)
2.	श्री पुष्कर लाल डांगी, मावली	प्रधान, पं.स. मावली	सदस्य
3.	श्रीमती बसन्ती देवी मीणा, पूर्व विधायक, एस-11/12 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से.नं. 14 उदयपुर	प्रधान, पं.स. सराडा	सदस्य
4.	श्रीमती सज्जन कटारा, उदयपुर	प्रधान, पं.स. गिर्वा	सदस्य
5.	श्रीमती मधु सालवी, मु. पो. मदार तह. बडगांव जिला उदयपुर		सदस्य
6.	श्रीमती निर्मला चौधरी, पूर्व प्रधान पत्नी श्री दयाला, 16 त्रिमूर्ति कॉम्प्लैक्स मनवाखेडा रोड सेक्टर नं. 04 हिरण मगरी उदयपुर		सदस्य
7.	श्रीमती कामिनी गुर्जर, पत्नी श्री किशन सिंह गुर्जर, 1626, सेन्ट्रल, एरिया पुलिस क्वार्टर्स के सामने उदयपुर		सदस्य
8.	श्री अब्दुल अजीज खान, पूर्व प्रतिपक्ष, खाजी पीर, उदयपुर		सदस्य
9.	श्री हीरालाल दरांगी, पूर्व विधायक		सदस्य
10.	श्री दिनेश श्रीमाली		सदस्य
11.	श्री गोपाल कृष्ण जी शर्मा, 21- एच, देत्य मगरी उदयपुर		सदस्य
12.	श्री त्रिलोक पूर्बिया, अम्बामाता स्कीम, उदयपुर		सदस्य
13.	श्री मांगीलाल गरासिया, पूर्व मंत्री, गोगुन्दा बायपास चौराहा, उदयपुर		सदस्य
14.	श्री छगनलाल जैन, पूर्व जिला प्रमुख, मु.पो. नागदा बाजार सलूमबर जिला उदयपुर		सदस्य
15.	श्री पंकज कुमार शर्मा, रक्षाबंधन, धानमण्डी उदयपुर		सदस्य
16.	श्री सुरेश श्रीमाली, सहेली नगर, उदयपुर		सदस्य


14/10/22

17.	श्री दिलीप प्रभाकर, 135 अशोक नगर उदयपुर	सदस्य
18.	श्री जसवंत गन्ना, उदयपुर	सदस्य
19.	श्री लालसिंह झाला, 642 खारोल कॉलोनी फतेहपुरा उदयपुर	सदस्य
20.	श्रीमती निलिमा सुखाडिया, दुर्गा नर्सरी उदयपुर	सदस्य
21.	श्री गणेशलाल मेघवाल, मेघवालों का मौहल्ला, गोस्धन विलास उदयपुर	सदस्य
22.	सुश्री सीमा पंचोली पुत्री श्री रामस्वरूप, 258/18 अशोक नगर उदयपुर	सदस्य
23.	श्री हिमांशु चौधरी	सदस्य
24.	श्री विरेन्द्र वैष्णव	सदस्य
25.	श्री गोपाल सिंह चौहान	सदस्य
26.	श्री सुरेश सुथार	सदस्य
27.	श्री लक्ष्मी नारायण पण्डया पुत्र श्री खेम शंकर, 3 ढ-1 प्रभात नगर, हिरण मगरी सेक्टर नंबर 5, उदयपुर	सदस्य
28.	संबंधित विभागों के प्रभारी अधिकारी	सदस्य
29.	जिला प्रमुख	सदस्य
30.	अध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं प्रशासक	सदस्य
31.	अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) एवं परियोजना निदेशक	सदस्य
32.	मुख्य अधिशाषी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद	सदस्य
33.	जिलाधीश एवं जिला विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
34.	मुख्य आयोजना अधिकारी	संयोजक

समिति की बैठक में जिले की पंचायत समितियों के प्रधान आदि, अध्यक्ष द्वारा जब आवश्यकता अनुभव की जावे, आमन्त्रित किये जा सकेंगे। इस समिति का प्रशासनिक विभाग आयोजना (बीसूका) विभाग होगा। यह समिति बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि तक क्रियाशील रहेगी। समिति निम्न प्रकार से कार्य करेगी:-

1. समिति प्रत्येक माह के लिए प्रत्येक सूत्र के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों, उपलब्धियों, कार्यक्रम, प्रक्रियाओं, कठिनाईयों एवं क्रियान्वयन संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श करेगी।
2. समिति विभिन्न सूत्रों के अन्तर्गत जन सहयोग के लिए प्रक्रियाओं को तय करने तथा जुटाने की व्यवस्था करेगी।
3. कार्यक्रम में केवल लक्ष्यों की प्राप्ति ही नहीं, अपितु उनके गुणात्मक स्तर को भी देखा जावेगा। प्राप्त उपलब्धियों का समिति सत्यापन कर सकेगी।

 14/11/22

4. इस समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जावेगी तथा समिति की दो बैठकों का अन्तराल डेढ़ माह से अधिक नहीं होगा।

इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल अग्रिम आदेशों तक रहेगा।

आज्ञा से,



(सी. पी. मण्डावरिया)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान।
4. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, बीस सूत्री कार्यक्रम, राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति, राजस्थान।
5. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. सचिव, निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
8. अवर सचिव, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
11. सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर।
12. जिला कलेक्टर, उदयपुर को भेजकर अनुरोध है कि संबंधित सदस्यों को जारी की गई आज्ञा की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
13. समस्त सदस्य (जिला कलेक्टर के माध्यम से)।
14. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
15. विशेषाधिकारी, माननीय उपाध्यक्ष, बीसूका।
16. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग को अ. शा. टीप क्रमांक प. 7(20)प्र.सु. /अनु0-3/82 पार्ट, दिनांक 30.09.2022 के संदर्भ में।
17. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव

नोट:— समिति में प्रस्तावित माननीय सांसदों/विधायकों का मनोनयन माननीय लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरान्त किया जावेगा।